

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अधीन रोजगार हेतु कोयला धारक आधिनियम 1957 के अधीन अधिगृहीत खाता संख्या 15 प्लॉट संख्या 57, 81, 83, 88, 89, 90, 103, 113, (रैयती भूमि), खाता संख्या 01, प्लॉट संख्या 319/10 (गैरमाजूरवा खास भूमि) (6.00 एकड़) के तहत ग्राम: मसीलॉग थाना: टंडवा जिला: चतरा (झारखण्ड) के निवासी (1) श्री राम कुमार ताना भगत सुपुत्र राम बृक्ष ताना भगत (2) श्री कार्तिक ताना भगत सुपुत्र राम बृक्ष ताना भगत (3) शमशीर रजा सुपुत्र अली मोहम्मद से संबन्धित एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा की ग्राम: मसीलॉग थाना: टंडवा जिला: चतरा: (झारखण्ड) के निवासी (1) श्री राम कुमार ताना भगत सुपुत्र राम बृक्ष ताना भगत (2) श्री कार्तिक ताना भगत सुपुत्र राम बृक्ष ताना भगत (3) शमशीर रजा सुपुत्र अली मोहम्मद के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

1  
X  
21.06.17